

**बिहार सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**

ज्ञाप संख्या-8/गृहस्थल-04-04/2011-..... (8)/रा0, पटना-15, दिनांक-

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय – बिहार गृह स्थल क्रय नीति, 2011 के अन्तर्गत सुयोग्य श्रेणी के गृह विहिन परिवारों के गृह निर्माण योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 में वास भूमि उपलब्ध कराने हेतु उपबंधित कुल 334.27 लाख रुपये में स्वीकृत्यादेश संख्या-518(8) दिनांक-30.04.2015 द्वारा स्वीकृत राशि 25,00,000/- (पच्चीस लाख) रूपए के उपरान्त शेष बची राशि 3,09,27,000 (तीन करोड़ नौ लाख सताईस हजार रू0 मात्र) व्यय की स्वीकृति।

आदेश – स्वीकृत।

2. वित्तीय वर्ष 2015-16 में इस योजनान्तर्गत व्यय हेतु 334.27 लाख (तीन करोड़ चौतीस लाख सताईस हजार रूपया) का बजट उपबन्ध प्राप्त है।
3. वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृत्यादेश संख्या-518(8) दिनांक-30.04.2015 द्वारा कुल 25,00,000 (पच्चीस लाख) रू0 स्वीकृत की जा चुकी है।
4. राशि का व्यय राज्य के विभिन्न जिलों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में किया जायगा।
5. वित्तीय वर्ष 2015-16 में राशि का व्यय शीर्ष 4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं एवं पूँजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना उप शीर्ष-0104-गृह विहिन परिवारों के लिए गृह निर्माण, माँग सं0-40, विपत्र कोड-P4047007890104, विषय शीर्ष 5301 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
6. विभागीय संकल्प सं0-373(8) दिनांक-20.11.2014 द्वारा एम0 भी0 आर0 के आधार पर रैयती भूमि क्रय करने का निर्णय लिया गया है।
7. राशि का व्यय वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561 (वि0) दिनांक-17.04.1998 के आलोक में किया जायेगा।
8. राज्यादेश (स्वीकृत्यादेश) में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

कृ०पृ०उ०

9. राशि की निकासी सम्बन्धित जिला के समाहर्ता द्वारा सम्बन्धित कोषागार से की जायेगी।
10. आवंटन आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-  
(व्यास जी),  
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-8/गृहस्थल-04-04/2011- (8)/रा0, पटना-15, दिनांक-.....  
प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग,  
बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-  
(व्यास जी),  
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-8/गृहस्थल-04-04/2011- 902 (8)/रा0, पटना-15, दिनांक- 21/11/15  
प्रतिलिपि-सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/समाहर्ता, बिहार/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/  
बजट शाखा-5, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु  
प्रेषित।

कपीर  
(व्यास जी),  
प्रधान सचिव।

Email

